नवभारत
छतीसगढ़ • ओडिशा
Rajdhani - 19 Aug 2025 - 19raj1
epaper.navabharat.news

आज फिर कोर्ट में सुनवाई, ईडी ने मांगी है 5 दिन की रिमांड

चैतन्य बघेल एक दिन के लिए फिर भेजे गए जेल

नवभारत ब्यूरो । रायपुर।

करोड़ों रुपए के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में एक महीने पहले प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को न्यायालय ने एक दिन के लिए फिर से जेल भेज दिया है। उन्हें मंगलवार को दोबारा न्यायालय में पेश किया जाएगा। ईडी ने अपनी जांच के संबंध में चैतन्य बघेल की पांच दिन की रिमांड मांगी है, जिसका चैतन्य बघेल के अधिवक्ता ने विरोध किया।

मिली जानकारी के मुताबिक चैतन्य बघेल की रिमांड मांगते हुए ईडी की तरफ से कहा गया कि मनी लॉड्रिंग से जुड़े प्रकरण की जांच में कुछ नई जानकारी आई है, जिसके संबंध में चैतन्य से पूछताछ की जानी है। इसलिए ईडी को रिमांड दी जाए, जिस पर न्यायालय ने मंगलवार को फैसला लेने की बात कही। इसके बाद चैतन्य को एक दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अब मंगलवार को दोबारा सुनवाई होगी और इसके बाद ईडी की रिमांड पर न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा।